

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 13, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए-3-47/2017/1/पांच/(50) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) की धारा 9 उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-47/2017/1/पांच/(59) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, "डाक विभाग" शब्दों के बाद, "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 5क के समक्ष, कॉलम (2) में, "केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं" शब्दों के बाद, "[ रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2 यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1-पांच (50), दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> December 2023

**No. F A 3-47/2017/1/V (50) : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-47/2017/1/V (59) dated 30th June, 2017, namely:-**

**In the said notification, in the Table, -**

- (i) against serial number 5, in column (2), in item (2), in sub-item (i), after the words "Department of Posts", the words and brackets "and the Ministry of Railways (Indian Railways)" shall be inserted;
- (ii) against serial number 5A, in column (2), after the words "Services supplied by the Central Government", the words and brackets "[excluding the Ministry of Railways (Indian Railways)]" shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.